


७।

न्यायालय - माननीय राजस्व मण्डल नवालियर, मोपूर कैम्प रीवा  
मोपूर  
निवारनी २५२२-८-१५

225  
27-6-15



Rs. 20/-

### राजस्व निगरानी क्रमांक

तकी मौहम्मद लिखी की तन्त्र स्व० शेखरजा रिद्धी की उम्र ४७ वाले  
निवारी बैठन तहसील सिंगरौली जिला सिंगरौली, हाल मुकाम  
बमहा तीधी, तहसील गोपदबनास जिला तीधी मोपूर ०

श्री आर. डी. कुशवाहा  
द्वारा अव दिनांक. २७-६-१५ के  
प्रस्तुत किया गया

वावेदक/निगरा नी कर्ता

बनाम,

१। - श्री मती फिरोज वेगम पत नीं हाजी मौ० बाहुल निवारी बैठन  
सर्किट ऑर्ट ऐा तहसील सिंगरौली जिला सिंगरौली मोपूर

२ - आयता वेबी वेवा आ शिक मौहम्मद निवारी बैठन तहसील सिंगरौली  
जिला सिंगरौली मोपूर

३ - मौ० ता दिक पिता आ शिक मौहम्मद निवारी बैठन तहसील  
सिंगरौली जिला सिंगरौली मोपूर

बनावेदकगण

### क्रमांक

रजिस्टर्ड कॉर्ट द्वारा ड. राज  
दिनांक..... को द्वारा

कलारे लाइन कर्ता  
राजस्व मण्डल मोपूर नवालियर

### निगरा नी

राजस्व प्रकरण क्रमांक - ३२/ब-७०/१४-१  
मैं न्यायालय तहसीलदार सिंगरौली जिला  
सिंगरौली द्वारा पारित आदेश दिनांक -  
६.५.२०१५ के विरुद्ध पुनरनिरीक्षा  
पुनरनिरीक्षा बन्तेर्गत धारा ५० मोपूर मु  
राजस्व संहिता, १९५९

मा न्यवर,

वावेदक की ओर से निम्नांकित आधारों पर निगरा नी  
प्रस्तुत है : -

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश गवालियर  
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

प्रकरण क्रमांक R. 2522- हा. 115

जिला- सिंगोरा

पक्षकार का नाम टकी मोहम्मद सिंहबीबी / तनिमती फिरोज वैगा

(1)	(2)	(3)
28.12.17	<p>प्रकरण प्रस्तुत ।</p> <p>2—आवेदक तथा आवेदक अधिवक्ता की पुकार कराई गई किन्तु कोई उपस्थित नहीं। अतः संहिता की धारा 35 (2) के तहत प्रकरण आदम पैरवी में खारिज किया जाता है।</p> <p>3— आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भेजी जावे। तत्पश्चात प्रकरण पंजी से समाप्त होकर अभिलेखागार में संचय हेतु भेजा जावे।</p>  	